

समाहरणालय, बक्सर

(विधि शाखा)

न्यायालय समाहर्ता -सह- जिला दण्डाधिकारी, बक्सर में मद्यनिषेध अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत संचालित राज्यसात वाद में संबंधित वाहन स्वामी को अंतिम रूप से न्यायालय में उपस्थित होने के संबंध में

अल्पकालीन आम सूचना

बजरिये न्यायालय नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 56 (घ) के अन्तर्गत अवैध रूप से देशी / विदेशी शराब का परिवहन करने के आरोप में निम्नलिखित वाहन विभिन्न थाना काण्डों में जप्त कर अधिहरण-प्रस्ताव, पुलिस अधीक्षक, बक्सर / अधीक्षक उत्पाद, बक्सर के माध्यम से प्राप्त होने के फलस्वरूप, विविध उत्पाद अधिहरण वाद प्रारम्भ किया गया है। नोटिस किए जाने के बावजूद / नोटिस वापस होने के फलस्वरूप इन वाहनों के लिए कोई दावेदारी प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। इस आधार पर उक्त जप्त वाहन अधिहरण करने योग्य हैं। वाहनों की विवरणी निम्नलिखित है :-

क्र०	उत्पाद वाद सं०	थाना काण्ड सं०	जप्त वाहन का प्रकार	जप्त वाहन का निबंधन सं०	परिवहन कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार गाड़ी मालिक का नाम व पता	सुनवाई की अगली तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	271/21	उत्पाद 132(O)21	टाटा ACE	BR-01GE-0832	कमलेश कुमार साहनी पिता-मुखलाल साहनी, सा०-राजेन्द्र नगर, पानी टंकी, मनोहरपुर, कछुआरा, जिला-पटना	01.10.21
2	203/21	उत्पाद 123(O)21	ई-रिक्शा	Ch- M5GERBHA18 4D00755	वाहन साफ्टवेयर में प्रदर्शित नहीं है।	01.10.21
3	211/21	राजपुर 124/21	प्लसर मोटर साईकिल	UP-65CA-8523	अभिनव तिवारी पिता-रामाशंकर तिवारी, सा०-E-332 VDA कॉलोनी, बदलापुर, लमही, जिला-वाराणसी (उ०प्र०)	01.10.21
4	198/21	नावानगर 233/21	सेन्ट्रो कार	DL-9CH-3761	अशोक शर्मा पिता-स्व० एस०एच० धर्मपाल शर्मा, सा०-A180, गली नं०-3, सिंधु फर्म मिठापुर, रोड, बदरपुर, नई दिल्ली	01.10.21
5	228/21	राजपुर 105/21	हीरो पैंशन प्रो० मोटर साईकिल	UP-65AV-0285	नन्द किशोर सिंह यादव पिता-स्व० दुलम यादव, सा०-पनरसरदार, सा०-A- 13/82, घसीयारी टोला, राजपुर, वाराणसी (उ०प्र०)	01.10.21
6	234/21	चक्की 125/21	पैंशन प्रो० मोटर साईकिल	BR-01ES-1433	प्रभात कुमार पिता-स्व० योगेश कुमार उपाध्याय, सा०-BMP- 10, पो०-बी०भी० कॉलेज, थाना-एयरपोर्ट, पटना	01.10.21
7	267/21	सिमरी डेरा 123/21	सी०ई० डिलक्श मो० साईकिल	UP-60J-0972	लक्ष्मण शर्मा पिता-भृगुनाथ शर्मा, सा०-लक्ष्मणपुर, पो०-नन्दुल, जिला-बलिया (उ०प्र०)	01.10.21
8	265/21	धनसोई 107/21	NXG मोटर साईकिल	BR-44B-2594	अज्ञात	01.10.21

9	231/21	सिकरौल 50/21	CD डिलक्स मोटर साईकिल	Ch- MBLHA11EK8 9M02770 En- HA11EB89M03 501	वाहन साफ्टवेयर में प्रदर्शित नहीं है।	01.10.21
10	29/21	नैनीजोर 603/20	होण्डा ड्रीम मोटर साईकिल	BR-01V-6891	राजू कुमार पिता-रमता शर्मा, सा0-भलुही पुर, पो0-चौक आरा, थाना-आरा नगर, जिला-भोजपुर (आरा)	01.10.21
11	15/19	मुरार 62/18	मोटर साईकिल	UP-60P-9325	सुरेश प्रसाद पाल पिता-श्री किशुन पाल, सा0-बैरियो, जिला-बलियो (उ0प्र0), पिन-277201	01.10.21
12	15/19	मुरार 62/18	मोटर साईकिल	BR-03P-7584	शशि शंकर त्रिपाठी पिता-श्री बागीसचन्द्र त्रिपाठी, न्यु रामनगर, चन्दवा टोला, पो0-चन्दवा, जिला-भोजपुर (आरा)	01.10.21

एतद् द्वारा अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि यदि कॉलम 05 में अंकित जप्त वाहन / वाहनों में से कॉलम 06 में अंकित वाहन-स्वामी अथवा अन्य किसी व्यक्ति / संस्था का हित निहित हो तो उक्त कॉलम 07 में वर्णित निर्धारित तिथि को स्वयं या वकालतन, समाहर्ता न्यायालय, बक्सर में उपस्थित होकर अपने - अपने वाहन के मालिकाना हक से संबंधित दावा / पक्ष व कागजात प्रस्तुत करें। अनुपस्थित होने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि उक्त गाड़ी से आपको कोई सरोकार नहीं है। तत्पश्चात उक्त जप्त वाहन को सुनवाई उपरान्त बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अन्तर्गत राज्यहित में अधिहरण कर लिया जायेगा। इसे सख्त ताकीद समझें।

जिला दण्डाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक XXI-27/20-06- 1519 / विधि, दिनांक 21 / 09 / 2021

प्रतिलिपि:- DIO, NIC, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि जिला के वेबसाईट पर सूचना को अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला दण्डाधिकारी,
बक्सर।